


व्याख्या पत्रावली

1

20/9/22

पत्रावली पेश हुनी। पार्थी व वकील पार्थी अनुपस्थित
 बार-बार आवाज लगावानी जारी। आवाज लगावने
 के उपरान्त भी पार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
 आया। अतः पार्थी का पार्थीका पत्र अफ हाजरी
 अफ पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली
 फैसल शुमा लोक नम्बर से कर होकर दफ्तर
 दाखिल है।


 (बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नौमकाथाना (सीकर)